

"ट्रांसपोर्ट नगर योजना, ग्राम-करारी में प्रस्तावित 50 दुकानों (फेज-1) व्यावसायिक योजना (2025-26) में दुकानों हेतु" आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. जातिश्रेणी
- आवेदक का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो
(आरक्षित श्रेणी के आवेदक संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
4. उम्र
5. पत्र व्यवहार का पता
.....
..... पिन
6. स्थायी पता
7. आधार संख्या ई-मेल
8. दूरभाष संख्या
9. दुकाने जिसे आप लेने के इच्छुक है
दुकानें
10. भुगतान की पद्धति :- एक मुक्त किश्तों में बैंक से लोन द्वारा भुगतान
(कृपया सही () का निशान लगायें)
11. क्या इस योजना के लिये आपकी सम्पूर्ण भूमि/भवन अधिगृहीत किया गया है? **हाँ/नहीं**
12. पिछले वित्तीय वर्ष में समस्त स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय
13. आवेदक का खाता संख्या बैंक का नाम
- बैंक का ब्रान्च कोड बैंक का आई.एफ.एस कोड
14. पंजीकरण धनराशि का विवरण :-
(क) यदि धनराशि का नगद भुगतान किया गया हो तो चालान की संख्या/तिथि का उल्लेख करें, व चालान की तृतीय प्रति फार्म के साथ संलग्न करें।
(ख) यदि धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जा रही है तो उसका विवरण अंकित करें :-
बैंक ड्राफ्ट संख्या धनराशि
- बैंक का नाम दिनांक

नोट :- आरक्षित श्रेणी से संबंधित उचित प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में सामान्य श्रेणी के आवेदक के रूप में ही मान्य होंगे।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा

समक्ष श्रीमान सचिव, झॉंसी विकास प्राधिकरण, झॉंसी।

1. मैं (उपरोक्त नामित) एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दी गयी पंजीकरण योजना की शर्तों व दशाओं को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और उसका पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।
2. मेरी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु० है। है जिसमें मेरी पत्नी/पति/अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।
3. मैं एतदद्वारा घोषित करता है/करती हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी नहीं छिपाया गया है और यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझ कर प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझे।
4. मैं/हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
5. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आबंटित दुकानों के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करेंगी।
6. यदि मुझे या मेरे परिवार (तात्पर्य उपरोक्तानुसार) को एक से अधिक दुकाने आवंटित होते हैं तो मैं अन्य अतिरिक्त दुकानों पर दावा छोड़ते हुए प्राधिकरण को समर्पण कर दूंगा/दुंगी। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान

दिनांक

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट :-

1. उपरोक्त घोषणा संख्या 01 लगायत 08 की 10/- के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र पर दें।
2. कृपया बैंक में वांछित धनराशि जमा करने के पश्चात आवेदन-पत्र की प्रति के साथ प्राधिकरण कार्यालय में जमा करके रसीद अवश्य प्राप्त कर ले।

फार्म संख्या :

प्राधिकरण कार्यालय में प्रयोग के लिये

आवेदक की पंजीकरण धनराशि रू0.....स्करोल संख्या.....

दिनांक द्वारा प्राधिकरण के पूंजी लेखा में जमा हो चुकी है और उसकी प्रविष्टि डेली कलैक्शन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या पर क्रम संख्या..... में दिनांक को की गयी है।

लेखाकार,
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

फार्म संख्या :

आवेदन प्राप्ति रसीद

आवेदक श्रीमती/श्री..... निवासी

से दिनांक को ट्रांसपोर्ट नगर योजना, ग्राम-करारी में प्रस्तावित 50 दुकानों (फेज-1) में व्यावसायिक योजना से सम्बन्धित आवेदन पत्र संख्या..... मय चालान संख्या दिनांक बाबत धनराशि..... प्राप्त किया ।

सम्पत्ति लिपिक,
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी